न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 261/2024

अनवान : –

1. सरोज पुत्री महावीर पत्नी रमेश जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर हाल निवास श्रीगंगानगर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. गिरदावरी पत्नी रामकुमार जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र भादर जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **सायल**
श्री सुरेन्द्र भारी अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 29/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 56/53 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 63/62 की कुल 9.6140 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है।

उपरोक्त कृषि भूमि में से सायला के पिता व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 के पिता महावीर का 1/6 हिस्सा भूमि हिस्से में आयी। लेकिन सायला के पिता ने अपने हक हिस्सा से ज्यादा भूमि का बैयनामा दिनांक 01.06.2024 को अप्रार्थी स0 1 के पक्ष मे करवा दिया जबकि गैरसायल स0 2 को उक्त समस्त भूमि फरोख्त करने का अधिकार नही था। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है। गैरसायल स0 1 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करना चाहता है अगर गैरसायल स0 1 अपने मकसद मे कायमाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति गैरसायलान संख्या 1 को होगी। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 56/53 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 63/62 की कुल 9.6140 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा तक अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:33:33 IST
Reason: SelfAttested

Rahul,
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि भादरराम की स्वयं की पैदा कर्ता भूमि है एवं महावीर के जीवन काल मे सायला का कोई हक हिस्सा नही है। क्योंकि यह जमीन सायला के दादा भादराराम के पिता के नाम दर्ज होती तो सायला का जन्मजात हक हिस्सा होता जबकि भूमि भादररा की स्वयं की पैदाकर्ता भूमि है। गैरसायला द्वारा समस्त प्रतिफल देकर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई है एवं गैरसायला अपनी खरीद शुदा भूमि पर काबिज है। गैरसायल रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः—

1. प्रथम दृष्टया मामला :— प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है। गैरसायल स0 1 द्वारा जरिये बैयनामा गैरसायल स0 2 से खरीद की गई है। पत्रावली मे प्रस्तुत जमाबंदीयो के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद भूमि पूर्व में सायला के दादा भादर के नाम दर्ज रही है एवं भादर के बाद महावीर यानि की गैरसायल स0 2 के नाम दर्ज हुई है। सायला का कथन है कि गैरसायल स0 2 द्वारा अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि को जरिये बैयनामा बेचान किया गया है उक्त बिन्दु मूल वाद में तय होना है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में सायलान के पूर्वजो के नाम दर्ज रही है अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन— सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित भूमि पर काबिज है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:33:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चक 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 56/53 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 63/62 की कुल 9.6140 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 29/10/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:33:33 IST
Reason: SelfAttested